

संख्या-पी-147/81-2-2022-800(21)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी

30 प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 22 जून 2022

विषय- जनपद-मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि०, नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से मुजफ्फरनगर बाईर (पी० डब्लू० डी० कि० मी० चैनेज ०.००० से ९.२००) व एन० एच०-५८ किमी चैनेज ९०.२९० से ९२.२९० तक १२" डाय भूमिगत नेचुरल गैस पाइप डालने हेतु ०.५६०० हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में । (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/पाइप लाइन/१४६०५९/२०२१)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-३२९१/११-सी/-एफपी/यूपी/ पाइपलाइन/१४६०५९/२०२१, दिनांक २३.०५.२०२२ का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

२- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-४ के बिन्दु- ४.२ तथा पत्र संख्या-एफसी-११/१६५/२०१९/एफसी, दिनांक २७-७-२०२०, पत्र सं०-११/एफ० सी०/आर० ओ० सी०/९५-२०१५(Part-vi, दिनांक २२.११.२०२१ एवं पत्र दिनांक ०३.११.२०२१ में विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद-मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि०, नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से मुजफ्फरनगर बाईर बाईपास से मुजफ्फरनगर, (पी० डब्लू० डी० कि० मी० चैनेज ०.००० से ९.२००) व एन० एच०-५८ किमी चैनेज ९०.२९० से ९२.२९० तक १२" डाय भूमिगत नेचुरल गैस पाइप डालने हेतु ०.५६०० हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के आधार पर निम्न शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

१-	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
२-	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
३-	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज २.०० मी० गहराई १.०० मी० चौड़ाई से अधिक न होगी।
४-	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
५-	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
६-	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति

	की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7-	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8-	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
9-	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0 सी0, दिनांक 05-02-2009 के क्रम में भारत सरकार के आदेश दिनांक 06-01-2022 एवं यथासंशोधित आदेश दिनांक 19-01-2022 का नियमानुसार अनुपालन किया जायेगा।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में 12 इंच, डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0 पी0 वी0 का भुगतान किया जायेगा।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये

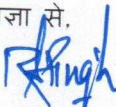
	गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2021 में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाईप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी भवदीय,
Date: 21-06-2022 10:41:15
Reason: Approved (आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- (1) उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
 - (2) वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
 - (3)- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
 - (4)- प्रभागीय निदेशक सा० वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
 - (5)- सोमिल गर्ग एडीसनल जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली।
 - (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।